

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 624]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 15, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 11-14-01-उन्तीस(2).—मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयरहाउस एक्ट, 1947 (क्रमांक 1 सन् 1948) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयरहाउस रूल्स, 1961 जो उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में,—

- (एक) उप-नियम (1) में, शब्द तथा कोष्ठक “प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम (जो इसमें इसके पश्चात् प्रबंध संचालक के नाम से निर्दिष्ट है)” के स्थान पर, शब्द तथा कोष्ठक “आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (जो इसमें इसके पश्चात् आयुक्त-सह-संचालक के नाम से निर्दिष्ट है)” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उप-नियम (3) में, शब्द “प्रबंध संचालक” जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर, शब्द “आयुक्त-सह-संचालक” स्थापित किए जाएं.

No. 11-14-01-XXIX (2).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947 (No. 1 of 1948), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961, the same have been previously published as required by

sub-section (1) of Section 24 of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 3,—

- (i) in sub-rule (1), for the words and bracket “Managing Director, Madhya Pradesh State Warehousing Corporaton (hereinafter referred to as Managing Director)”, the words and bracket “Commissioner-cum-Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection (hereinafter referred to as the Commissioner-cum-Director)” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (3), for the words “Managing Director” wherever it occurs, the words “Commissioner-cum-Director” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.